

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 374]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त 2013—भाद्र 1, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2013

क्रमांक 8041/डी. 257/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 2 सन् 2013) एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 2 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन)
अध्यादेश, 2013

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्र. 29 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यतः, राज्य विधान मंडल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्रवाई करें.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अध्यादेश, 2013 कहलायेगा.
- (2) यह 31 अगस्त, 2013 से प्रभावी होगा.

छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 29 सन् 1967 का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्रमांक 29 सन् 1967) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), धारा 3 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अधधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 29 सन् 1967 को धारा 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूल नियम (फंडामेंटल रूल्स) 56 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूलभूत नियम 56 में, निम्नलिखित संशोधन निगमित किया जाये, अर्थात् :—
 - (एक) उप-नियम (1) में, शब्द, अंक, कोष्टक, हायफन तथा विरामचिह्न (1-क), (1-ख) एवं (1-ग) को विलोपित किया जाए.
 - (दो) उप-नियम (1) में, शब्द "साठ" जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "बाराठ" प्रतिस्थापित किया जाए.
 - (तीन) उप-नियम (1-क), (1-ख) एवं (1-ग) को विलोपित किया जाए.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2013

क्रमांक 8041/डी. 257/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 2 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE

(No. 2 of 2013)

**THE CHHATTISGARH SHASKIYA SEVAK (ADHIVARSHIKI-AYU)
(SANSHODHAN) ORDINANCE, 2013**

An Ordinance further to amend the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhiniyam, 1967 (No. 29 of 1967).

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that, the circumstances exist, which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

1. (1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) (Sanshodhan) Ordinance, 2013.
- (2) It shall come into force from the 31st day of August, 2013.
2. During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhiniyam, 1967 (No. 29 of 1967) (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have the effect, subject to the amendments specified in Section 3.
3. In Rule 56 of the Fundamental Rules as substituted by Section 2 of the Principal Act, the following shall be incorporated, namely :—
 - (i) In sub-rule (1), the words, figures, parenthesis, hyphen and punctuation, (1-a), (1-b) and (1-c) shall be omitted.
 - (ii) In sub-rule (1), for the word "sixty" wherever it occurs, the word "sixty two" shall be substituted.
 - (iii) Sub-rule (1-a), (1-b) and (1-c) shall be omitted.

Short title and commencement.

The Chhattisgarh Act No. 29 of 1967 to be temporarily amended.

Amendment of Fundamental Rule 56 as substituted by Section 2 of the Chhattisgarh Act, No. 29 of 1967.

